

भाग-4

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 14.4106 हे0 आरक्षित अर्थात् कुल 19.9019 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2818 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/ट्रांस/15538/2015)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-105/81-2-2024-800(92)/2024 दिनांक जून 2024 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by

Ashish Tiwari

Date: 18-06-2024 10:55:14

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक

जून 2024

विषय- 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-वारा पारेषण लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 14.4106 हे0 आरक्षित अर्थात् कुल 19.9019 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2818 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/15538/2015)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-3515/11-सी/एफपी/यूपी/ट्रांस/15538/2015 दिनांक 27.05.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-वारा पारेषण लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 14.4106 हे0 आरक्षित अर्थात् कुल 19.9019 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2818 वृक्षों के पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है, विषयगत प्रस्ताव परिवेश पोर्टल 2.0 पर अपलोड है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के प्राविधानों के अन्तर्गत अद्यतन कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by

Ashish Tiwari

Date: 18-06-2024 10:54:41 (आशीष तिवारी)

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन प्रभाग कानपुर मण्डल कानपुर एवं प्रयागराज एवं आगरा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी प्रयागराज/कानपुर नगर/कानपुर देहात/मैनपुरी/औरैया/फतेहपुर।
4. महस्रवन्धक (पारेषण) एस0ई0यू0पी0पी0टी0सी0एल0 विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

सचिव।